

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सुखजी बनाम ललिता किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र स्थगन प्रकरण सं. – 12/2013</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>19.06.2018</p>	<p>अधिवक्ता फरीकेन उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया की स्थगन प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित मूल प्रार्थना पत्र 14(4) उनवानी सुखजी बनाम ललिता वगैरा विरुद्ध आवंटन आदेश दिनांक 06.06.1989 बाबत आराजी ख.न. 48 किस्म गैर मुमकिन नला ग्राम पालडी तहसील लालसोट में पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय के मूल रिकार्ड तलब किये जाने हेतु नियत है। अतः प्रकरण में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु दिनांक 06.02.2013 को जारी स्थगन आदेश को मूल प्रार्थना पत्र 14(4) के निर्णय होने तक प्रभावी रखे जाने के आदेश फरमावे।</p> <p>अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया की स्थगन आदेश को प्रार्थना पत्र 14(4) के निर्णय होने तक प्रभावी रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है।</p> <p>अधिवक्तागण उभयपक्ष को सुना जाकर प्रार्थना पत्र स्थगन एवं मूल प्रार्थना पत्र 14(4) की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात आवंटन आदेश दिनांक 06.06.1989 बाबत आराजी ख.न. 48 किस्म गैर मुमकिन नला ग्राम पालडी तहसील लालसोट जिला दौसा में जारी स्थगन आदेश दिनांक 06.02.2013 को मूल प्रार्थना पत्र 14(4) प्रकरण के निर्णित होने तक प्रभावी रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार लालसोट को भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थगन से सम्बन्धित पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर मूल प्रार्थना पत्र 14(4) पत्रावली के संलग्न की जावे। निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



[Signature]
अति० जिला कलक्टर
दौसा